\_\_\_\_TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II; \_\_\_\_\_\_ SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

> GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

> > New Delhi, the 05th April, 2017

## **NOTIFICATION**

S.O. 1657(E) In exercise of the powers conferred by clause (iii) of the proviso to section 269ST of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that the provision of section 269ST shall not apply to receipt by any person from an entity referred to in sub-clause (b) of clause (i) of the proviso to section 269ST.

2. The notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st day of April, 2017.

[Notification No.28/2017, F.No.370142/10/2017-TPL

Under Secretary to the Government of India

## [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 5 अप्रैल, 2017

## अधिसूचना

का.आ. १६ हुन केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269धन के परंतुक के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि धारा 269धन के उपबंध किसी व्यक्ति की धारा 269धन के परंतुक के खंड (i) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अस्तित्व से किसी प्राप्ति को लागू नहीं होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2017 से लागू हुई मानी जाएगी ।

[अधिसूचना सं. 28/2017, फा.सं. 370142/10/2017-टीपीएल]

हिन्स् (अंदिर्धी) (डा. टी.एस. मपवाल) अवर सचिव, भारत सरकार